पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

'शुद्ध ही शुभ है' अभियान जारी

6 महानगरों में 24 और प्रतिष्ठानों पर बड़ा एक्शन

कानपुर, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर और अयोध्या में कार्रवाई

कहीं कॉकरोच तो कहीं किचन में घूम रहे थे चूहे

एक्सपायर्ड सामग्री भी परोसी जा रही थी होटल–रेस्त्रां आये लोगों को

174 होटल– रेस्टोरेंट को मिला नोटिस

किचन से लेकर खाद्य भंडारण तक मिलीं कई खामियां

लखनऊ, 25 सितंबर, 2026

'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत प्रदेश के छह जनपदों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कानपुर नगर में 52, प्रयागराज में 40, अयोध्या में 97, बरेली में 34, गोरखपुर में 34 और मुरादाबाद में 60 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें होटल, रेस्टोरेंट और स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट शामिल थे।

निरीक्षण में स्वच्छता एवं साफ–सफाई, कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य भंडारण, रसोई व प्रसंस्करण क्षेत्र, जल निकासी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, कीड़े–मकौड़ों एवं चूहों की मौजूदगी तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग–अलग रखने की व्यवस्था की जांच की गई। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार 24 और प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन व अन्य विधिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इसके अलावा 174 प्रतिष्ठानों को कमियों को दुरुस्त करने के लिए सुधार नोटिस दिया गया है।

कानपुर नगर : पांच प्रतिष्ठानों में मिलीं गंभीर कमियां। इनमें काके की हट्टी रेस्टोरेंट, मॉल रोड, एम/एस आनंद सैफ्रॉन होटल, हर्ष नगर, द डाइनिंग हाउस, आवास–विकास कल्याणपुर, रेवंत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड–लिटिल शेफ, सिविल लाइंस और एम/एस अल समीम फूड कोर्ट, जाजमऊ में कारोबार बंद करा दिया गया है। सभी जगहों पर स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब थी।

प्रयागराज : यहां रसोई और जल निकासी व्यवस्था में तमाम खामियां सामने आई। अर्बन रेजीडेंसी होटल, काटजू रोड, शंभूनाथ होटल एंड बैंक्वेट, हैस्टिंग्स रोड और त्रिवेणी एलायंस त्रिवेणी ग्रैंड, ट्रांसपोर्ट नगर पर कार्रवाई की गई है।

गोरखपुर : जांच के दौरान शहर के होटलों में स्वच्छता और खाद्य भंडारण में बड़ी कमियां सामने आई। यहां रेडिसन होटल, मोहद्दीपुर, रामकृष्ण होटल, बाईपास

रोड, द ब्रायन फ्लेवर्स इन रेस्टोरेंट, चंदन स्वीट हाउस और दुलारवा रेस्टोरेंट, कूड़ा घाट का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

अयोध्या : यहां एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री से लेकर चूहों के प्रकोप तक के मामले सामने आए। अयोध्या में तिरुपति रेस्टोरेंट, बिरला धर्मशाला, अल हिंद रेस्टोरेंट, मवई, आई एम ओके रेस्टोरेंट, गुलाबबाड़ी, द अरोमा रेस्टोरेंट, डालमिया सैफ्रॉन होटल, प्रथम तल, रघुनंदन भवन, एसआर पिक्चर्स/तरंग सिनेमा मॉल पर कार्रवाई की गई।

बरेली : शहर में जांच के दौरान कॉकरोच से लेकर एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ तक लोगों को परोसते हुए मिले। बरेली में कृष्णा भोजनालय, स्टेशन रोड और रमाडा होटल, सिविल लाइंस का लाइसेंस निलंबित किया गया है।

मुरादाबाद : फ्रीजर में वेज–नॉनवेज साथ, किचन में कीड़े–चूहे यहां जांच में मिले। शहर के जाने माने होटल लावना एनजीआर, टी प्वाइंट, दिल्ली रोड, टाइम 24, दिल्ली गेट और मोती महल डीलक्स होटल पर एक्शन लिया गया है।

विभाग ने दी साफ चेतावनी खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, कच्चे माल की गुणवत्ता, कीट नियंत्रण, जल निकासी तथा शाकाहारी–मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पृथक भंडारण जैसे मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

राम यतन/05:00 PM